विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1085 दिनांक :- 04-05-17

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- गुरू द्रोण शिक्षा महाविद्यालय,टोंकखुर्द,जिला-देवास।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- बी.एड. -प्रथम वर्ष

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01.	प्रो. बी.एस.चौहान	-	आचार्य,सतत् शिक्षा अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02.	प्रो. एस.के.मिश्रा	-	उपाचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03.	डॉ.आर.के.अहिरवार	-	विभागाध्यक्ष,प्रा.भा.इ.सं.एवं पुरा.अध्ययनशाला,वि.वि.उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 1886 //2//

दिनांक :- 04-05-17

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

02. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि, संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो, सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

03. प्राचार्य/अध्यक्ष,संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अतिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग, के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।

04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निंजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव(अकादमिक)